न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:—239/2018(जीसीएमएस नं. 2018/00115)

1. मन्जू देवी पत्नी अजय कुमार शर्मा,
2. सुशीला देवी पत्नि राजकुमार शर्मा, समस्त जाति ब्राह्म्ण, निवासी ग्राम असरपुरा, नारायण विहार, सांगानेर, जिला जयपुर।
3. भागीरथ पुत्र पीथा,
4. सांवरमल पुत्र पीथा,
4. कैलाश चन्द पुत्र पीथा,
5. सुरेशचन्द पुत्र जगदीश,
6. बजरंग लाल पुत्र पीथा समस्त जाति– जांगिड ब्राह्म्ण, निवासी – ग्राम बगडी, तहसील चौमू जिला जयपुर।
7. गुलाब देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट, निवासी – ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
8 भैरू राम शर्मा पुत्र कल्याण सहाय शर्मा, जाति हरियाणा ब्राह्म्ण, निवासी नारायण विहार, असरपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. नाथूराम पुत्र स्व. गंगाराम,
2. भगवान सहाय पुत्र स्व. गंगाराम(मृतक दौराने अपील)
   - 2/1. श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व. श्री भगवानसहाय,
   - 2/2. झडी देवी पुत्र स्व. श्री भगवानसहाय,
   - 2/3. भोली पुत्री स्व. श्री भगवानसहाय
   - 2/4. मिश्री पुत्री स्व. श्री भगवानसहाय
   - 2/5. मंजू पुत्री स्व. श्री भगवानसहाय
   - 2/6. मंगलचन्द पुत्र स्व. श्री भगवानसहाय
   - 2/7. कैलाश पुत्र स्व. श्री भगवानसहाय
   - 2/8. निर्मला देवी पत्नी स्व. श्री भागचन्द पुत्र स्व. श्री भगवानसहाय
   - 2/9. पूनम पुत्री स्व. श्री भागचन्द पुत्र स्व. श्री भगवानसहाय
   - 2/10. गुलशन पुत्र स्व. श्री भागचन्द पुत्र स्व. श्री भगवानसहाय समस्त निवासीयान ग्राम बगडी, तहसील चौमू जिला जयपुर।

03. सुरेश कुमार पुत्र स्व. बजरंग लाल
04. ताराचन्द पुत्र स्व. बजरंग लाल
05. मक्खन लाल पुत्र स्व. बजरंग लाल
06. रोशनलाल पुत्र स्व. गोविन्दराम
07. लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. हरिनारायण
08. रामावतार पुत्र स्व. गोविन्दराम
09. नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. गोविन्दराम
10. मोरध्वज पुत्र स्व. गोविन्दराम
11. केशरी देवी पत्नि स्व. गोविन्दराम
12. मंगली देवी पत्नि स्व. रामकुंवार

P.T.O.

13. जीवणी पुत्री स्व. रामकुंवार
14. भागीरथ पुत्र स्व. रामकुंवार
15. श्रवणलाल पुत्र स्व. रामकुंवार
16. गोपाल पुत्र स्व. रामकुंवार
17. मोहन पुत्र स्व. रामकुंवार
18. राजू पुत्र रामकुंवार
19. शंकर लाल पुत्र धन्ना (मृतक दौराने अपील)
    19/1. बिदामी देवी पत्नी शंकर
    19/2. प्रेम कुमार पुत्र शंकर
    19/3 बनवारी लाल पुत्र शंकर
    19/4 लालचन्द पुत्र शंकर
    19/5 तीजादेवी पुत्री शंकर
    19/6 शिमला देवी पुत्री शंकर
    19/7 सुक्ली देवी पुत्री शंकर
    19/8 संतरा देवी पुत्री शंकर
    19/9 सुमित्रा देवी पुत्री शंकर
    19/10 लक्ष्मी देवी पुत्री शंकर
    19/11 संतोष देवी पुत्री शंकर समस्त जाति कुम्हार निवासी– ग्राम बगडी, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
20. नानूराम पुत्र धन्ना
21. गिरधारी पुत्र धन्ना
22. चुन्नी लाल पुत्र धन्ना समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम बगडी, तहसील चौंमू जिला जयपुर

——प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 22/ प्रार्थीगण

23. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, चौंमू तहसील चौंमू जिला जयपुर
24. मन्जू देवी पुत्री जगदीश
25. सुशीला देवी पुत्री जगदीश समस्त जाति – जांगिड ब्राह्मण, निवासी – ग्राम बगडी, तहसील चौंमू जिला जयपुर।

——प्रत्यर्थी संख्या 24 व 25/ अप्रार्थी संख्या 9 व 10

26. बोदूराम पुत्र धन्ना
27. नारायण पुत्र धन्ना
28. दीपाराम पुत्र धन्ना
29. सुरेन्द्र पुत्र धन्ना
30. श्योपाल पुत्र धन्ना समस्त जाति जाट, निवासी – ग्राम बगडी, तहसील चौंमू जिला जयपुर
31. बिदामी देवी पत्नी दानाराम जाट
32. हरफूल पुत्र दानाराम जाट
33. बलवीर पुत्र दानाराम जाट
34. सागर पुत्र दानाराम जाट

P.T.O.

35. अर्जुन लाल पुत्र भुरामल जाट
36. छाजूराम पुत्र खेमा जाट
37. मुरली पुत्र खेमा जाट
38. बलवीर पुत्र खेमा जाट समस्त जाति जाट निवासी – ग्राम बगडी, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।

.......प्रत्यर्थी संख्या 26 लगायत 38/ अप्रार्थी संख्या 12 से 25

उपस्थितिः–

1. **श्री सुमेर सैनी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री ज्ञानेश्वर बाढदार एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 से 18, 20 से 22, 26से 38 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 04.01.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 22/ प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू, जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र सं0 05/2018 बउनवानी नाथूराम वगैरह बनाम राजस्थान राज्य वगैरहा अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2018 पारित किया गया हैं। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2018 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नही हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 27.04.2018 को अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी तथा दिनांक 27.04.2018 को प्रकरण की विपक्षी संख्या 9 व 10 की तामिल पूर्ण नही हुई थी। जिस पर प्रकरण में विपक्षी संख्या 9 व 10 को पुनः नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये थें तथा आगामी पेशी दिनांक 30.05.2018 मुकरर की गई थी एवं दिनांक 30.05.2018 को भी आदेशिका पूर्व आदेशानुसार लिखी जाकर, दिनांक 02.06.2018 की तारीख पेशी मुकरर की गई, आदेशिका दिनांक 27.04.2018 की पालना प्रकरण में कभी भी नहीं हुई परन्तु इसके बावजूद मामले में कैम्प अदालत की आड़ में आदेश दिनांक 02.06.2018 पारित कर दिया गया हैं जो विधि अनुकूल नहीं होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 27.04.2018 की पेशी पर अपीलार्थीगण ने अपनी उपस्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दर्ज करवा दी थी एवं अपीलार्थीगण को प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, जिसकी मौखिक

P.T.O.

आपत्ति भी अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत पेशी पर की थी। प्रति के अभाव में प्रकरण में जवाबदेही संभव नही थी, अपीलार्थी को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त व न्यायसंगत अवसर प्रदान नही किया गया हैं। इसलिए भी उपरोक्त मामले को पुनः सुनवाई के लिए आदेश दिनांक 02.06.2018 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना अतिआवश्यक हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि आदेश दिनांक 02.06.2018 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होगा कि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों पर गौर किये बगैर मात्र प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 22 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अभिवचनों को आदेश में हुबहू वर्णित कर अपीलाधीन आदेश न्यायिक चित्त लगाये बगैर पारित कर दिया हैं, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आदेश दिनांक 02.06.2018 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होगा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2018 तथाकथित सीमाज्ञान 01.11.2017 पर आधारित हैं, सीमाज्ञान की प्रति यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर थी जिसका उल्लेख आक्षेपित आदेश में भी किया गया हैं जिससे यह स्पष्ट हैं कि सीमाज्ञान दिनांक 01.11.2017 तहसीलदार चौंमू द्वारा नहीं किया गया हैं अपितु हल्का पटवारी द्वारा किया गया हैं सीमाज्ञान के संबंध में वर्णित प्रावधान जो आज्ञापक प्रकृति के हैं, का अनुसरण किये बगैर एवं जिनकी अक्षरशः पालना किये बगैर किये तथाकथित सीमांकन के आधार पर पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी परन्तु अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान के संबंध में उदगृहित विधि का अवलोकन किये बगैर आक्षेपित आदेश दिनांक 02.06.2018 पारित कर दिया जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा खाता संख्या 36 के खसरा विशेष खसरा नंबर 80/1 की पत्थरगढी किये जाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। राजस्व अभिलेख अर्थात जमाबन्दी के खाता विशेष में से केवल एक मात्र खसरा नंबर विशेष का सीमांकन व पत्थरगढी का आदेश विधि अनुकूल नहीं है क्योंकि खसरा विशेष का सीमांकन व पत्थरगढी किये जाने की अनुमति विधि प्रदान नहीं करती हैं। ऐसी सूरत में खसरा विशेष के लिए पारित आक्षेपित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2018 को अपास्त फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की आराजी में खड़ी फसल की आवारा पशु, मवेशी, नीलगाय इत्यादि से सुरक्षा हेतु आराजी की पत्थरगढी बाबत रेस्पोडेन्ट द्वारा विधिवत रूप से तहसीलदार के समक्ष भूमि के सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके संदर्भ में तहसीलदार चौमू के आदेश क्रमांक भू0अ0/4280 दिनांक 27.10.2017 एवं पत्रांक भू.अ./2017/4282 की पालना में पटवारी हल्का नांगलगोविन्द द्वारा दिनांक 01.11.2017 को सीमाज्ञान किया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की आराजी के चारों ओर अपीलार्थीगण व

अन्य खातेदारान की भूमि स्थित है जो रेस्पोडेन्ट की आराजी की पत्थरगढी नही करवाने दे रहे थे जबकि रेस्पोडेन्ट की आराजी के सम्बन्ध में अपीलार्थी व अन्य खातेदारान का कोई लेना–देना नही है तथा पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्षकार को कोई हानि भी नही होने वाली थी। ऐसे में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी आराजी पर पत्थरगढी करवाने हेतु अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ प्रस्तुत किया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होन से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकारान को अपनी आराजी की एवं अपनी फसल की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार कानूनन प्रदत्त है तथा हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा स्वयं की आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु आवेदन/प्रार्थना पत्रादि प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है किन्तु फिर भी न्यायहित में अपीलार्थीगण की आराजी की भी पैमाईश की कार्यवाही हेतु अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार चौंमू को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी चौंमू के आदेश दिनांक 02.06.2018 की पालना में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही के दौरान अपीलार्थीगण को एवं अन्य पडौसी खातेदारान को नोटिस दिया जाकर अपीलार्थीगण की आराजी की भी नियमानुसार पैमाईश की जाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 में प्रावधित प्रावधानों के अनुसरण में नियमानुसार पड़ोसी खातेदारान के कब्जे में भूमि रिकार्ड के अनुसार है या नही यह भी सुनिश्चित करते हुए पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें एवं पत्थरगढ़ी की आड़ में किसी पड़ौसी खातेदार की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज क्षेत्रफल से कम नही की जावें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

4/1/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।